

प्रेषक,

प्रदीप शुक्ला,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ :: दिनांक:: 26 अगस्त, 2005

विषय:-स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर आशुलिपिक संवर्ग में पदोन्नति के अवसर प्रदान किया जाना ।

महोदय,

वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों के आधार पर शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उक्त संवर्ग के विभिन्न स्तरों पर पदों का आनुपातिक प्रतिशत 50 : 30 : 15: 5 रखते हुए, उनका पदनाम क्रमशः आशुलिपिक ग्रेड-2, आशुलिपिक ग्रेड-1, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 तथा वैयक्तिक सहायक ग्रेड-1 कर दिया जाय एवं उक्त चारों श्रेणी के पदों का वेतनमान क्रमशः रूपये-4,000-6,000, रूपये-5,000-8,000, रूपये-5,500-9,000 तथा रूपये-6,500-10,500 रखा जाय ।

2. उपर्युक्त स्टाफिंग पैटर्न के अनुरूप आशुलिपिकीय संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए, संवर्ग में पदोन्नतियां किये जाने हेतु, सेवा नियमावलियों के संशोधन में लगने वाले समय के दृष्टिगत संबंधित कर्मचारियों के समायोजन/पदोन्नति हेतु, शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) संवर्ग में की जाने वाली नियुक्तियां /पदोन्नतियां पदनाम व वेतनमान संशोधन आदि की कार्यवाही निम्न प्रकार कर ली जाय :-

(क) संवर्ग में प्रथम स्तर का पद सीधी भर्ती का पद होगा और इसे आशुलिपिक ग्रेड-2 कहा जायेगा । इस पद का वेतनमान रूपये-4000-6000 होगा ।

(ख) आशुलिपिक ग्रेड-1(वेतनमान रूपये-5000-8000) के पद द्वितीय स्तर के पद होंगे तथा इन पदों पर समायोजन/पदोन्नति हेतु आशुलिपिक के पद पर न्यूनतम 07 वर्ष की संतोषजनक सेवा आवश्यक होगी ।

(ग) वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 (वेतनमान रूपये- 5500-9000) के पद तृतीय स्तर के पद होंगे और इन पर समायोजन/ पदोन्नति हेतु

